न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 47 / 2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
ओमप्रका”ा पुत्र ओगड़राम गोदपुत्र श्री दौलाराम जाति सीरवी (पीड़ियार) निवासी ग्राम सीरवीबास भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री आर.पी. बोराणा अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम सीरवीबास भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर का मूल निवासी है। श्री दौलाराम व श्री ओगड़राम एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। श्री दौलाराम के कोई जायन्दा सतान पैदा नही हुई थी। ओमप्रका”ा की शादी गंगादेवी के साथ हुई थी। गंगादेवी के कोई संतान नही होने के कारण गंगादेवी ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद जरिये गोदनामा के दिनांक 06.07.2010 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 7 में पृष्ठ संख्या 181 क्रम संख्या 2010000011 पर पंजीबद्ध किया गया है तभी से वादी श्रीमति गंगादेवी व स्व. श्री दौलाराम का गोद पुत्र के रूप में जाना एवं पहचाना जाता है। वादी के प्राकृतिक पिता का नाम ओगड़राम है जो वादी गोद चला जाने के बाद वादी ओमप्रका”ा गोद पुत्र दौलाराम के नाम से जाना एवं पहचाना जाने लगा है। वादी गोद चले जाने के बाद वादी का रा”ानकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामा”ााह कार्ड, वादी का आधारकार्ड आदि ओमप्रका”ा पुत्र श्री दौलाराम के नाम से बने हुए है। वादी की ग्राम भावी सीरवीबास में तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में खातेदारी की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 3204 / 1 रकबा 1.0000 बीघा, खसरा नम्बर 3216 रकबा 3.1400 बीघा, खसरा नम्बर 3217 रकबा 1.1200 बीघा, खसरा नम्बर 3218 रकबा 2.0000 बीघा, खसरा नम्बर 3221 रकबा 1.0100 बीघा, खसरा नम्बर 3222 रकबा 7.0100 बीघा व खसरा नम्बर 3414 / 1 रकबा 5.1000 बीघा कुल खसरे 7 कुल रकबा 21.17 बीघा आई हुई है। उक्त खसरान की भूमि को वादी ने [illegible] से पहले दिनांक 23.06.2010 को जरिये पुस्तक संख्या 1 जिल्द [illegible] 03 में पृष्ठ संख्या 166 क्रम संख्या 2010002027 पर [illegible] है। [illegible] प्रकार उक्त भूमि में वादी ओमप्रका”ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:15 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र ओगड़राम नाम दर्ज है। उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी ओमप्रका”ा प्राकृतिक पिता श्री ओगड़राम के नाम से दर्ज है। जिस पर वादी एकमात्र काबिज है। वादी के प्राकृतिक पिता का नाम श्री ओगड़राम है तथा गोद पिता का नाम दौलाराम है। वादग्रस्त भूमि वादी की गोद जाने से पहले खरीदसुदा होने के कारण वादी के प्राकृतिक पिता श्री ओगड़राम दर्ज होने तथा वादी श्री दौलाराम के गोद चला जाने के कारण वादी ने उक्त वादग्रस्त जमीन में वादी ओमप्रका”ा पुत्र श्री ओगड़राम के स्थान पर ओमप्रका”ा गोद पुत्र श्री दौलाराम के नाम से जरिये गोदनामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी के यहा दिनांक 03.03.2020 को दस्तावेज सहित आवेदन किया। मगर प्रतिवादी ने वादी ओमप्रका”ा पुत्र ओगड़राम के स्थान पर ओमप्रका”ा गोदपुत्र श्री दौलाराम के नाम से दर्ज करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। इस कारण वादी की वादग्रस्त जमीन में वादी ओमप्रका”ा गोदपुत्र दौलाराम दर्ज नही करने के कारण वादी को लोन लेने में एवं सरकारी कार्य में बड़ी दुविधा हो रही है तथा वादी को वाद पे”ा करने के अलावा अन्य कोई कानूनी उपाय नही है। वादकारण वादी ने अपनी खरीदसुदा वादग्रस्त भूमि को जरिये गोदनामा के आधार पर वादी ओमप्रका”ा पुत्र ओगड़राम के स्थान पर ओमप्रका”ा गोद पुत्र दौलाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु दिनांक 03.03.2020 को निवेदन करने एवं प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने पर पैदा हुआ है। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि ....

अन्त में वाद पे”ा कर निवेदन किया कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आ”ाय की जारी फरमाई जावें कि वाद के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम सोनाराम के स्थान पर ओमप्रका”ा व वादी की माता जड़ावली पत्नी हरीराम के स्थान पर गलकाई पत्नी हरीराम के रूप में घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदे”ा दिया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने जवाब पे”ा किया जिसक संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव के खसरा नम्बर 454 रकबा 3.9965 हैक्टेयर खसरा नं. 414 रकबा 2.4755 हैक्टेयर कुल खसरे 2 रकबा 6.4720 हैक्टेयर जो कि जड़ावली पत्नी हरीराम 1/6, पारसराम पुत्र हरीराम 1/6, सोनाराम पुत्र हरीराम 1/6 तथा पेमाराम पुत्र भानाराम 1/2 जातियान बावरी के नाम दर्ज है। खातेदार हरीराम के फौत होने पर नामा. सं. 920 विरासत के द्वारा पारसिया, सोमाराम पुत्र हरिया, नाबा. की वली जड़ावली पत्नी हरिया के नाम [illegible] ए है। वर्तमान जमाबन्दी चौसाला में सोमाराम के स्थान [illegible] है। [illegible]ारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में हरिराम [illegible] फौत होना [illegible] तथा हरिराम के दो पुत्र 1. पारसराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:15 IST
Reason: SelfAttested

2. सोमाराम, दो पुत्रियां 1. उगमादेवी 2. पप्पूदेवी तथा पत्नी गलकाई पत्नी हरीराम होना बताया। प्रार्थी ओमप्रका”ा ने सरकारी दस्तावेज रा”ानकार्ड, परिचय पत्र, आधारकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा नाम इन दस्तावेज में ओमप्रका”ा दर्ज है। नामा. में मेरा नाम सोमाराम गलत दर्ज हुआ है। तथा मेरी माता का नाम भी परिपय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में गलकाई दर्ज है। नामा. में जड़ावली गलत दर्ज हुआ है। पटवारी हल्का ने मौका फर्द में सोमाराम व ओमप्रका”ा तथा जड़ावली व गलकाई का एक ही व्यक्ति होना बताया है। वादी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सोमाराम के स्थान पर ओमप्रका”ा व जड़ावली के स्थान पर गलकाई दर्ज करवाना चाहता है। अन्त मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रणसीगांव के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में ख.नं. 414 व 454 में सोमाराम के स्थान पर ओमप्रका”ा तथा जड़ावली के स्थान पर गलकाई किया जाता है। तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या सरकारी पैरोकार की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आव”यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पे”ा किया गया जिसे रेकर्ड पर लिया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद”र्ा 1 जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 414, 454 ग्राम रणसीगांव, प्रद”र्ा 2 पहचान पत्र ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम, प्रद”र्ा 3 आधारकार्ड ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम, प्रद”र्ा 4 भामा”ााह कार्ड, प्रद”र्ा 5 परिवार रा”ान कार्ड, प्रद”र्ा 6 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की डायरी प्रतिलिपि ओमप्रका”ा, प्रद”र्ा 7 पहचान पत्र गलकाई पत्नी हरीराम, प्रद”र्ा 8 आधारकार्ड गलकाई पत्नी हरीराम, प्रद”र्ा 8 मृत्यु प्रमाण पत्र गलकाई पत्नी हरीराम इत्यादि आदि पे”ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम तथा वादी की माता का नाम गलकाई पत्नी हरीराम दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी सोनाराम पुत्र हरीराम तथा वादी की माता की खातेदारी जड़ावली पत्नी हरीराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम तथा अपनी माता का नाम गलकाई पत्नी हरीराम की घोषणा कराना चाहता है। वादी की साक्ष्य अखण्डित रही, जिसका प्रतिवादी द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया इसलिये वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादी का दावा स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 414 रकबा 2.4755 हैक्टेयर, खसरा नं.454 रकबा 3.9965 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार सोनाराम पुत्र हरीराम तथा जड़ावली पत्नी हरीराम के स्थान पर ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम तथा वादी की माता गलकाई पत्नी हरीराम की घोषित की जाती है। इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:15 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”। प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल”ाुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी	बनाम	प्रतिवादी
ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 105/2019

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 414 रकबा 2.4755 हैक्टेयर, खसरा नं.454 रकबा 3.9965 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार सोनाराम पुत्र [illegible] तथा [illegible]ी हरीराम के स्थान पर ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम तथा वादी की माता [illegible]ी हरीराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड [illegible] हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया [illegible] अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:15 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:15 IST
Reason: SelfAttested